अध्यक्ष का समापन भाषण

माननीय सदस्यगण । चतुर्दश विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक २३ फरवरी,२००७ से प्रारम्भ होकर आज दिनांक २९ मार्च, २००७ को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुली २३ बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल द्वारा सह-समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया गया । तत्पश्चात् बिहार नगरपालिका अध्यादेश, २००७ एवं बिहार आपदा (प्रबंधन निरसन) अध्यादेश, २००७ की एक एक प्रति सभा मेज पर रखी गई । सभा सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत ७ विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । ५ (पांच) जन प्रतिनिधियों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा दिनांक २७ फरवरी, २००७ को वित्तीय वर्ष २००७-२००८ का आय-व्ययक विवरणी तथा बिहार वित्त विधेयक, २००७ सदन में उपस्थापित किया गया । तत्पश्चात् प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग का बजट भाषण हुआ तथा वित्त विधेयक पर प्रकाश डाला गया ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य डा० जगदीश शर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद दिनांक २६ फरवरी, २००७ से प्रारम्भ होकर १ मार्च, २००७ तक चला तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया, तदुपरान्त सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया । माननीय प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का ३१वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा वर्ष १९९५-१९९६ एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम का ४९वाँ वार्षिक प्रतिवेदन २००३-२००४ की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

दिनांक ६ मार्च, २००७ को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण २००६-०७ सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक ८ मार्च, २००७ को माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से सम्बन्धित बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-९९ के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-१९५, दिनांक-२१.११.२००६, एस०ओ०-१९९, दिनांक ०१.१२.२००६, एस०ओ०-२०१, दिनांक ०१.१२.२००६ एवं एस०ओ०-२१०, दिनांक २०.१२.२००६ की प्रतियाँ सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक १३ मार्च, २००७ को सरकारी उपक्रम समिति का १६७वाँ प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन समिति का १४२ वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया एवं दिनांक १४ मार्च, २००७ को बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री नर्मदेश्वर सिंह आजाद के निधन पर सदन में शोक-प्रकाश प्रकट किया गया ।

दिनांक १५ मार्च, २००७ को इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन में निर्वाचित सदस्या, श्रीमती प्रतिमा सिन्हा ने शपथ ग्रहण किया ।

दिनांक १६ मार्च, २००७ को प्रभारी मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ की धारा ३१ (२) के तहत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर०-३८१, दिनांक २५.०१.२००७ की प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

दिनांक २१ मार्च, २००७ को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष २००६-०७ के बजट प्राक्कलन से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय की रूझान का तृतीय तिमाही परिणाम, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम २००६ विवरण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन) द्वितीय संशोधन, २००६ तथा माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा जिला योजना समिति का गठन २००६, बिहार कचहरी न्याय मित्र नियमावली २००७, जिला योजना समिति का गठन २००६ की शुद्धि- पत्र सदन पटल पर रखी गयी ।

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य का पूरे वर्ष का बजट सभा द्वारा पारित हुआ, जिसके लिए दिनांक २२ मार्च, २००७ को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार विनियोग विधेयक, २००७ एवं बिहार वित्त विधेयक, २००७ पुरःस्थापित किया गया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ । तृतीय अनुपूरक २००६-०७ में सन्निहित अनुदानों की माँगों को पारित होने के उपरान्त दिनांक २३ मार्च, २००७ को बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २००७ पुनःस्थापित किया गया जिस पर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी ।

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्ष २००७-२००८ के गठन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत करने के संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुई ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ३१ मार्च, २००६ को अंत होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे वर्ष २००५-२००६ एवं विनियोग लेखे वर्ष २००५-२००६ सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक २६ मार्च, २००७ को राजकीय विधेयक यथा :- (१) बिहार विधान मंडल (निरर्हताएँ निराकरण) संशोधन विधेयक, २००७ (२) बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) विधेयक, २००७ (३) बिहार कॉलेज सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, २००७ (४) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, २००७ (५) बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड (निरसन) विधेयक, २००७ (६) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २००७ (७) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २००७ (८) बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, २००७ (९) यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा विधेयक, २००७ (१०) बिहार पुलिस विधेयक, २००७ (११) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, २००७ (१२) बिहार जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २००७

(१३) बिहार इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् (निरसन) विधेयक, २००७ (१४) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, २००७ (१५) बिहार नगरपालिका विधेयक, २००७ (१६) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) विधेयक, २००७ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल ७४ गैर सरकारी संकल्प की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सदन के लिए ०९ स्वीकृत हुआ एवं १३ अमान्य हुए । सदन में ४९ गैर सरकारी संकल्प की सूचना वापस ली गयी एवं ०३ अस्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल-३४५१ प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-२३३६ प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें ७१ अल्पसूचित प्रश्न, १९५२ तारांकित प्रश्न तथा ३१३ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से ३१२ प्रश्न उत्तरित हुए एवं ५५३ प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । १४३ प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं इनमें से १३१७ प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये । अनेक लोकहित के विषय पर सदन में सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिया गया ।

इस सत्र में कुल ४७८ निवेदन प्राप्त हुए जिसमें २२० स्वीकृत हुए एवं २५८ अमान्य हुए । कुल १८२ याचिकाएँ प्राप्त हुई जिनमें से ७८ स्वीकृत एवं १०४ अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल ३६१ ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई, जिनमें ४४ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए जिसमें से ३७ पर सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये गये । शेष २३१ सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु विभागों को भेजे गये एवं ९३ अमान्य हुआ । कतिपय ध्यानाकर्षण सूचना प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपूर्द किये गये एवं जनहित से संबंधित प्रश्नों पर विशेष समिति गठित करने की घोषणा की गई ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण एवं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वाद-विवाद का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर एवं माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण का दूदर्शन एवं रेडियो से प्रसारण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए पटना दूरदर्शन एवं पटना रेडियो के पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्टॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।